न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 06 / 2020 / बाड़मेर

अपीलांट

1. चम्पालाल पुत्र गिरधारी जाति माली निवासी उतरलाई तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार बाड़मेर।
2.मंगनाराम पुत्र गिरधारी
3.रतनाराम पुत्र गिरधारी
4.लुणाराम पुत्र गिरधारी जाति माली निवासी उतरलाई तहसील व जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर के राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 906 / 2018 बअनवान सरकार बनाम मगनाराम में पारित आदेश दिनांक 06.01.2020 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री मुकेश जैन अपीलान्ट की ओर से।
2. राजकीय अभिभाषक श्री हाजी खां रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से।
3. वकील श्री बांकाराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 02 से 04 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 28.02.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा उतरलाई में अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 02 से 04 स्वामित्व का एक खेत खसरा संख्या 194 / 4 कुल रकबा 40.07 बीघा स्थित है तथा खातेदारों द्वारा 17 बीघा भूमि का उपयोग कृषि हेतु न किया जाकर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है इस कारण 17 बीघा भूमि की खातेदारी समाप्त करने बाबत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को नाम सम्मन जारी सम्मन प्राप्त होने पर अपीलांट की ओर से पैरवी करने हेतु वकील श्री राजुराम कुमावत को नियुक्त किया। अपीलांट को अधिवक्ता की ओर से जबाव प्रस्तुत करने हेतु आने के लिए कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई एवं अपीलांट को सूचित किये बिना ही अपीलांट के अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय में यह कह दिया कि वह जबाव पेश करने हेतु मुकरर्र किया था। अपीलांट ने अपने अधिवक्ता को यह कभी भी नहीं कहा कि वह कभी जबाव पेश करना नहीं चाहते है उसके बावजूद भी अपीलांट के अधिवक्ता ने मनमर्जी से जबाव प्रस्तुत नहीं करने बाबत कह दिया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांट को जबाव एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ एवं विधि के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से काबिल निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दोहरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराया कि अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में खाली आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये गये। अधीनस्थ न्यायायल की पत्रावली में आदेशिका दिनांक 26.12.2019 को जबाव पेश नहीं करना लिखा हैं लेकिन जबाव बंद नहीं किया गया। अपीलाधीन आवेदन निर्धारित प्रपत्र में पेश नहीं किया गया है तथा साथ शपथ–पत्र पेश नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा मेरे खाते में रकबा 17 बीघा खालसा करने के आदेश पारित किये गये लेकिन कुल रकबा 40.07 बीघा में 1/4 हिस्सा में इतनी भूमि मेरे हिस्से में ही नहीं आ रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना सीमा से बाहर जाकर प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हुए विधि के प्रतिकूल निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RLW 2009(3) Page 2490

AIR 1981 SC Page 1400

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया तथा अपीलांट की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आराजी गैर कृषि कार्य करने से अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 02 से 04 ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुने ही निस्तारण कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका फर्द पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया उसमें हमारे हस्ताक्षर नहीं तथा न ही हमारे रूबरू बनाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे तो मुझे कोई आपति नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर एकतरफा बहस पर मनन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जबाव पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अपीलांट को अपने मत का अभिवचन करने का पूर्ण अधिकार है और उसे इससे वंचित करना न्यायसंगत नहीं ठहरता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय आवेदन की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया तथा अपीलांट को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की अपील को हस्तगत प्रकरण में संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित होगा।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर के राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 906/2018 बअनवान सरकार बनाम मगनाराम में पारित आदेश दिनांक 06.01.2020 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उपरोक्त आब्जर्वेशन के आलोक में अपीलांट जबाव एवं साक्ष्य सबूत पेश करने अवसर दते हुए बाद समुचित सुनवाई गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

28/2/20
(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 28.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/2/20
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner